

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 110/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रामचन्द्र पिता नारायण ब्राह्मण
2. रमेशचन्द्र उर्फ रामेश्वर पिता नारायण ब्राह्मण
सर्व निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता भोलीराम ब्राह्मण
2. नंगजीराम पिता सोलाल ब्राह्मण
3. कालु पिता ऊँकार ब्राह्मण
4. नाराण पिता ऊँकार ब्राह्मण
5. बालु पिता लालु ब्राह्मण
6. चान्दी पुत्री लालु ब्राह्मण
7. प्यारी पुत्री लालु ब्राह्मण
8. बदामी पुत्री लालु ब्राह्मण
9. राजु पिता राधाकिशन ब्राह्मण
10. कैलाश पिता राधाकिशन ब्राह्मण
11. कमला पुत्री राधाकिशन ब्राह्मण
12. रेखा पुत्री राधाकिशन ब्राह्मण
13. रंजना पुत्री राधाकिशन ब्राह्मण
14. मनोज पिता राधाकिशन ब्राह्मण नाबा. ब.वि. जरिये माता अनोपी बेवा राधाकिशन ब्राह्मण
15. दीपिका पुत्री राधाकिशन ब्राह्मण नाबा. ब.वि. जरिये माता अनोपी बेवा राधाकिशन ब्राह्मण
16. मधुबाला पुत्री राधाकिशन ब्राह्मण नाबा. ब.वि. जरिये माता अनोपी बेवा राधाकिशन ब्राह्मण
17. पिकी पुत्री राधाकिशन ब्राह्मण नाबा. ब.वि. जरिये माता अनोपी बेवा राधाकिशन ब्राह्मण
18. अनोपी बेवा राधाकिशन ब्राह्मण
19. अमृता पिता धनराज ब्राह्मण
20. मोहनी पुत्री गोकल ब्राह्मण
21. कमला पुत्री गोकल ब्राह्मण
22. केली बेवा गोकल ब्राह्मण
23. देवीलाल पिता रामचन्द्र ब्राह्मण
24. कैलाश पिता रामचन्द्र ब्राह्मण
25. सोहनी पुत्री रामचन्द्र ब्राह्मण
26. बरदी पुत्री रामचन्द्र ब्राह्मण
27. चान्दी बेवा रामचन्द्र ब्राह्मण
28. सत्यप्रकाश पिता बद्रीलाल ब्राह्मण
29. चन्द्रा पुत्री बद्रीलाल ब्राह्मण
30. मांगीलाल पिता घीसु ब्राह्मण
31. कैलाश पिता नारायण ब्राह्मण
सर्व निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 08/07/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः...

तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 547 रकबा 0.0500 हे०, 548 रकबा 0.1900 हे०, 558 रकबा 1.1300 हे०, 916 रकबा 0.4700 हे० भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.8400 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 195 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 30 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षीसंख्या 31 फौत हो जाने के कारण उनके खिलाफ कोई दाद नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 547 रकबा 0.0500 हे०, 548 रकबा 0.1900 हे०, 558 रकबा 1.1300 हे०, 916 रकबा 0.4700 हे० भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.8400 हे० भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 950/- (नौ सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 950/- (नौ सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
(सी०एल०शामो)
गंगापुर जिला, भीलवाड़ा
गंगापुर(भीलवाड़ा)